न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या 34/2015 (अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट)

1. श्रीमती चन्दन पुत्री (ग्यारसी पत्नी सरमन) पत्नी परभाती जाति जाटव निवासी सुहारी तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. श्रीमती बादामी पुत्री (ग्यारसी पत्नी सरमन) पत्नी स्व0 भरोसी जाति जाटव निवासी आंजनहेडा तहसील वैर जिला भरतपुर।
3. श्रीमती सरवती पुत्री (ग्यारसी पत्नी सरमन) पत्नी स्व0 दौजी जाति जाटव निवासी गहनौली तहसील महुवा जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र रामधन
2. मोती पुत्र करनसिंह
3. लखन पुत्र करनसिंह
4. रामपति पुत्री करनसिंह
5. द्रो पुत्री करनसिंह

जाति गुर्जर निवासी खूंटखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर

रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
आदेश खिलाफ तहसीलदार बयाना दिनांक 14.9.2015
पत्रावली संख्या 1/2015 श्रीमती चंदन बनाम राज0 सरकार

उपस्थितः— 1. श्री पुरूषोत्तम मुदगल वकील अपीलान्ट।

2. श्री दुलीचंद शर्मा वकील रैस्पोडेन्टस।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 2.11.2017

निर्णय

यह अपील राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के अंतर्गत तहसीलदार बयाना की आज्ञा दिनांक 14.9.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस के द्वारा तहत अदालत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र 183 बी आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया जिसमें अंकित करते हुये कि ग्राम खूंटखेडा की आराजी खसरा नम्बर 1286/0.12, 1287/0.11, 1288/0.27,

1289/0.30, 1290/0.30, 1291/0.30, 1292/0.14, 1293/0.12, 1294/0.14 कुल किता 9 रकबा 1.51 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1279/0.20 में से 1/5 भाग का कब्जा अप्रार्थीगण से दिलाया जावे। क्यों कि अपीलान्टस की मां ग्यारसा वेवा सरमन जाति जाटव उक्त आराजी की रिकार्डेड खातेदार थी जिनके फौत होने के उपरान्त अपीलान्टस ही उनकी वारिसान है। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही विवादित आराजी के स्वामित्व संबधी विवाद न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना के यहां आरटीएक्ट की धारा 88,89,188 के तहत विचाराधीन होने एवं उसमें दिनांक 15.4.2015 को स्थगन आदेश जारी होने के कारण तथा दौराने विवचाराधीन नियमित वाद 183 बी के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किया जाना उचित नहीं मानते हुये अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र 183 बी की कार्यवाही को अपने अपीलधीन आदेश दिनांक 14.9.2015 से समाप्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। क्यों कि आराजी खसरा नम्बर 1286/0.12, 1287/0.11, 1288/0.27, 1289/0.30, 1290/0.30, 1291/0.30, 1292/0.14, 1293/0.12, 1294/0.14 कुल किता 9 रकबा 1.51 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1279/0.20 में से 1/5 भाग वाकै ग्राम खूंटखेडा तहसील बयाना में स्थित है। जिसकी रिकार्डेड खातेदार मु0 ग्यारसी वेवा सरमन जाति जाटव खातेदार काश्तकार है। उनके फौत हो जाने के उपरान्त अपीलान्टस ही उनकी वारिसान है चूंकि उक्त जायदाद मु0 ग्यारसी को उसके मृतक पति स्व0 श्री सरमन से विरासतन प्राप्त हुई है अब मु0 ग्यारसा का भी देहान्त हो चुका है और ग्यारसा का कोई पुत्र न होकर केवल तीन पुत्रीयां क्रमशः चन्दन, बादामी, सरवती ही विधिक वारिसान है जो इस प्रकरण में अपीलान्टस है। अपीलान्टस की अलग–अलग गांवों में शादियां हो जाने पर मौके का फायद उठा कर रैस्पोडेन्टस द्वारा अपीलान्टस की पैतृक आराजी पर लठ्ठ के बल पर अवैध कब्जा कर लिया है। जबकि अनुसूचित जाति की जमीन किसी सवर्ण के नाम नहीं हो सकती है। न ही दलित की भूमि पर कोई बाहुवली कब्जा कर सकता है। विचाराधीन दावे से अपीलान्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड रहा है। तहत अदालत द्वारा वे वुनियाद दावे का बहाना लेकर अपीलान्टस के प्रार्थना पत्र 183 बी को बिना विधिवत सुनवाई समाप्त कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाधीन आदेश की नकल अपीलान्टस को दिनांक 18.9.2015 को प्राप्त हुई। अपील पेश करने इत्यादि की कार्यवाही कर दिनांक 23.10.2015 को बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी गई । अतः दिनांक 18.9.2015 से 22.10. 2015 तक के समय को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किया जावे। जिसके लिये पृथक से धारा –5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.9.2015

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायसंगत न होने के कारण निरस्त किये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.9.2015 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 183 बी अधिकार क्षेत्र से बाहर एवं मिथ्या भावना से प्रस्तुत किया गया है । वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथनों में विवादित भूमि रैस्पोडेन्टस के पूर्वजों की होना तथा अपने पूर्वजों के समय से लेकर आज तक वहैसियत मालिक व काबिज होना बाताया। इसके अलावा पक्षकारान के मध्य एक दावा संख्या 34/2015 रामस्वरूप बनाम चन्दन वगैरह आरटीएक्ट की धारा 88, 89, 188 के तहत न्यायालय उपखण्डाधिकारी बयाना के यहां पूर्व से ही विचाराधीन होना बताया तथा इसमें दिनांक 15.4.2015 को स्थगन आदेश भी जारी होना स्पष्ट किया है। ग्यारसी वेवा सरमन ने मौके पर कभी भी काश्त नहीं की है। उक्त भूमि पर पूर्व से ही लखन, मोती पिसरान करन व रामस्वरूप पुत्र रामधन गुर्जर साकिन खूंटखेडा का ही कब्जा चला आ रहा है। इसके अलावा अपीलान्टस द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि रैस्पोडेन्टस द्वारा कब्जा कब किया है ? साथ ही अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने के संबध में भी कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। प्रार्थना पत्र 183 बी एक समरी प्रोसिंडिग है जो दौराने विचाराधीन दावा स्थगित किये जाने योग्य ही रहती है तब जबकि इस प्रकरण में तो नियमित दावे में सक्षम अदालत उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 15.4.2015 भी जारी किया हुआ है। जिसमें स्पष्ट आदेश दिये गये है कि उक्त विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रार्थीगण (इस अपील में रैस्पोडेन्ट) के कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत नहीं करने के निर्देश दिये गये है। ऐसी सूरत में तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायसंगत है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.9.2015 बहाल रखे जाने एवं अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अपील में मुख्यतः यह बिन्दु तय किया जाना है कि क्या वास्तव में अपीलान्टस की खातेदारी की आराजी पर रैस्पोडेन्ट के द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है अथवा नहीं ? क्या रैस्पोडेन्टस अपीलान्टस की खातेदारी में कोई अपना हक हकूक रखते है ? यदि नहीं रखते है तो किस हैसियत से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि पर काबिज है ? मौके पर किसी खातेदार की आराजी पर किसी अतिक्रमी का अवैध कब्जा पाये जाने पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्यवाही कर उसका हटाया जाना हमारे ख्याल से न्याय संगत रहता है साथ ही यह तहत अदालत का दायित्व भी है। धारा 88,89,188 आरटीएक्ट के तहत दावा विचाराधीन होना एक अलग बिन्दु है। यदि विवादित आराजी पर रैस्पोडेन्टस का कोई विधिक हकूक है ही नहीं तो उसे वेदखल किया जाना ही न्याय है। विवादित आराजी व उसके रिकार्ड/मौके से रूबरू होते हुये तहसीलदार को प्रार्थना पत्र 183 बी को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जाना चाहिऐ था। जिसके लिये तहत अदालत पूर्णरूपेण सक्षम है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 2016 पेज नम्बर 640 लगायत 642 आर0बी0जे0 2016 पेज नम्बर 559 लगायत 561, आर0आर0टी0 2016 पेज नम्बर 982 लगायत 984 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यह स्पष्ट है कि दावा विचाराधीन होते हुये भी तहसीलदार प्रार्थना पत्र धारा 183 बी पर कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम रहता है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत तहसीलदार बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.9.2015 निरस्त योग्य ही रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.9.2015 निरस्त किया जाता है। तहत अदालत तहसीलदार बयाना को निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 183 बी के संबध में विवादित आराजी व उसके रिकार्ड/मौके से रूबरू होते हुये गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 2.11.2017 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

भरतपुर